

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मली काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से प्राविधिक शिक्षा परिषद, (उ/प्र), तख्तनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघट्ट हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मंटी पर विचार करती हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, (उ/ प्र) तख्तनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उच्चतम अधिकतम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3338-INDUS INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT			
क्र.सं	पाठ्यक्रम का नाम	एड-आईटीआई/पीसीआई द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	42	42
2	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	42	42
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	42	42

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एड-आईटीआई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा समाप्त-समय पर निर्गत शासनवदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्वीं पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-30160.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मली पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनवदेश प्रचलित होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। बीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु बीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो बीस की नवीनतम दत्त लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित शर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समाप्त-समय पर निर्गत शासनवदेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिविधानी/अधिविधानी/शासनवदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, (उ/प्र), संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, (उ/प्र) तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, (उ/प्र) द्वारा बनाये गये विधानी, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का एड-आईटीआई/पीसीआई से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उल्लेखनीय संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई शक दापर किया जाता है तथा दापर शक के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तख्तनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व एड-आईटीआई/पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समाप्त-समय पर निर्गत नवीनतम आवश्यक नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, छात्र-छात्रा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाले शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैलिंग टोकरने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि संस्था में प्रस्तावित संघटित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध करायें गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिये कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के औपेक्षक राष्ट्रीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य छात्र-सम्बन्धी एड-आईटीआई/पीसीआई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसंधानात्मक कार्यवाही की जाएगी।


(एड-आरओ सांग)

सचिव

पुंसा- प्राविप/परिषद्/सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, INDUS INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT


(एड-आरओ सांग)

सचिव

-कार्यालय ज्ञाप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं कार्यकारी कार्यालय जौनपुर इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघटित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद्, (उ) प्रो लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 23-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघटित हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/कार्यकारी कार्यालय जौनपुर इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संसदों को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संसदों को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संसद को प्राविधिक शिक्षा परिषद, (उ) प्रो लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	संसाधन/सर्विस/एडमिनिस्ट्रेशन/टीचर्स/एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	42	42
2	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	42	42
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	42	42

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/902022 दिनांक-1 दिनांक 18 नवंबर 2023 द्वारा पूर्व से संघटित संसदों को जौनपुर के विद्युत मंत्रालय ग्यालरम में पंजीकृत किए गए संसद संख्या 3027/2022 में मंत्रालय ग्यालरम के अधीन निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संसद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यकारी कार्यालय जौनपुर इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यकारी कार्यालय जौनपुर इंडिया, नई दिल्ली के माध्यम से अनुमोदन संसदों में प्रस्ताव संशोधन (भूमि, भवन, बैंक खातासंख्या) अदि उपलब्ध है।
- ✓ संसद उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सत्र 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, विनियमवली-2000, संसदों विनियमवली-2010 तथा संसद-संसाधन पर निर्भर संसदों को अनुमोदन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रवेश उपलब्धता से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अधीनका उपलब्धता से शुल्क के सम्बन्ध में संसद, संसाधन पर ध्यान दिए बिना किये जाने वाले संसदों पर ध्यान देनी होगी, और उपरोक्त कार्यवाही किया जाये आवश्यक होगा। और निर्धारित समिति द्वारा सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाये, जो प्रवेश की नवीनता पर ही लागू होगी।
- ✓ संसद में संसद प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने की ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संसद को संसद-संसाधन पर निर्भर संसदों के अनुमोदन निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संसद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्णय विनियमवली अधिनियम संसदों-निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, (उ) प्रो लखनऊ परीक्षा परिषद, (उ) प्रो लखनऊ प्राविधिक शिक्षा परिषद, (उ) प्रो लखनऊ द्वारा बननी गयी निर्णय, विनियम, अधिसूचना, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संसद का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यकारी कार्यालय जौनपुर इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संबंध में संसद उत्तराखण्ड संसद का होगा और शिक्षा रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संसद सत्र उत्तराखण्ड होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संसद प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विद्युत एवं ईंधन एवं उद्योग विभाग द्वारा सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाये, जो प्रवेश की नवीनता पर ही लागू होगी।
- ✓ संसदों को संसद प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश एवं के लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालय प्रदान होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यकारी कार्यालय जौनपुर इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अथवा उन्हीं प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु संसद-संसाधन पर निर्भर नवीनता आवश्यक निर्णय का अनुमोदन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संसद को अपने वेबसाइट एवं प्राविधिक शिक्षा के सुपरवाइजर पोर्टल पर संसद की संसद सुनना जैसे संसद की प्रविष्टिगत छुट्टी भूमि, भवन, सत्र-संसाधन, उपकरण, प्रदान किया जाने वाले शुल्क, आवश्यक शुल्क अदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संसद को शिक्षा/प्रविधिक हेतु उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उचित योजना के सम्बन्ध में संसद आवश्यक आवश्यक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संसद पर सुनिश्चित हो ले कि संसद में प्रशासिक/संघटित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्धारण समिति के समक्ष उपलब्ध कराते गये अधिसूचना, भूमि-भवन, कर्मियों, उपकरण इत्यादि का यदि संसद द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघटन में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संसद उपरोक्त का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संसद की सम्बद्धता समाप्त किये जाने को कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (विनियम और उपविनियम, संसदों का सम्बद्ध किये जाये) विनियमवली, 2000 के प्राविधिक-संसाधन परिषद की संसद पर ध्यान कार्यवाही, भवन और कर्मियों को परिषद की परीक्षा के संघटन के लिए परिषद के अधिकार में (अधीन)।
- ✓ संसद के जौनपुर स्थलीय निर्देशन के दौरान यदि संसद में भूमि, भवन, उपकरण, उपकरण एवं अन्य सत्र-संसाधन (उ)अनुमोदन/एडमिनिस्ट्रेशन/टीचर्स/एडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्धित उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संसद की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुमोदन न किये जाने संसद शर्तों का उपलब्ध किये जाने की शर्तों में निर्णय/सुपर-अनुमोदन/संसाधन कार्यवाही की जाएगी।


(अनील कुमार सिंह)
 सचिव


(अनील कुमार सिंह)
 सचिव

कार्यालय

सचिव, प्रविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश तखनऊ।

संख्या- प्रविधपरिषद/सम्बद्धता/2021/3637

तखनऊ- दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय, झांसी

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यालय और इन्फिन्स, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक संख 2021-22 हेतु डिप्लोमा सारतीय तकनीकी शिक्षा संसदों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघन हुई। बैठक में समिति द्वारा संख 2021-22 हेतु आर्देसि नई संसदों को सम्बद्धता पूर्व से संघनित संसदों को सम्बद्धता विस्तार- पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए संख 2021-22 हेतु सम्बद्धता- सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संसद को प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संख 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

संस्था का कोड एवं नाम : 3336-INDUS INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, KAKWAN ROAD BARAULI BILHORE, KANPUR

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा संख 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा संख 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	42	42
2	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	42	42
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	42	42

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद एक 1982 तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद विनियमसाली 1982, सेमेस्टर विनियमसाली-2018 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्वी० पाठ्यक्रमों हेतु संख 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम हेतु संख-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (टो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु संख-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उक्तशुल्क के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समस्त-समय पर सासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले सासनवधिसे प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यालयी किये जाने आवश्यक होगा। परिस निरीक्षण समिति द्वारा यदि संख 2021-22 हेतु परिस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो परिस को नवीनतम दे देना होगा।
- ✓ संस्था को 13090 प्रविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संसदों को सम्बद्ध किया जाना विनियमसाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के विस्तार एवं जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समस्त-समय पर निर्गत सासनवधिसे के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी संख हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों-अतिरिक्तशुल्कसंशोधनविधियों एवं निर्देशक, प्रविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्यालयी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था सारा उत्तरदायी होगी। प्रविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सासन को कोई शर्त दायर किया जाता है तथा दायर शर्त के संबंध में न. महासचिव द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्यालयी पाठ्यक्रम संघनित करने वाली संसदों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालयी प्रवेश होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उत्तरदायित्व करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यालयी के माध्यम से अपना संस्था स्तर पर प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेश नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक चित्र भूमि, स्टाफ, संसद-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रविधिक हेतु उपर्युक्त कार्यालयी उपलब्ध करने के साथ रेगिग टोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रशासिक संघनित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कार्यालय, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघनित में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो समस्त संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के राष्ट्रीय निरीक्षण दौरेन यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सास-संख्या ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विनियमसाल अनुसार अनुपालनसक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

संख्या- प्रविधपरिषद/सम्बद्धता/2021/3538-4899

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि-

प्रधानकार्यालय/निदेशक, INDUS INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, KAKWAN ROAD, BARAULI BILHORE, KANPUR